निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1937 (शo)

(सं0 पटना 610) पटना, सोमवार, 1 जून 2015

सं0 03 / वि0–18–35 / 2014–2613 / न0वि0एवंआ0वि0

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

29 मई 2015

विषयः–केन्द्र सरकार की योजना Heritage City Development and Augmentation Yojna (HRIDAY) को गया एवं बोधगया में लागू करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।

केन्द्र सरकार ने भारत के 12 शहरों में प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु Heritage City Development and Augmentation Yojna (HRIDAY) लागू की है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार प्राकृतिक, विरासत एवं सांस्कृतिक रूप से धनी शहरों में केवल कुछ ऐतिहासिक इमारतों का ही संरक्षण करना पर्याप्त नहीं है बल्कि इन शहरों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने, मूलभूत सुविधाओं का विकास करने, समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने, उनकी आय में वृद्धि करने, रोजगार पैदा करने, शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुधारने तथा सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना पूर्ण रूप से केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके लिए 100 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

2. HRIDAY योजना से संबंधित अवयवों की DPR नगर स्तरीय मिशन निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय मिशन निदेशालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जा सकती है किन्तु यह DPR वित्तीय सहायता हेतु किसी अन्य संस्था को प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए। इस DPR की राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा जॉच की जाएगी और HNEC द्वारा स्वीकृत की जायेंगी।

3. यह योजना 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदानित है। राज्य स्तर पर किसी प्रकार की समिति अथवा निदेशालय का प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार को विभाग द्वारा लिखा गया है कि मार्गर्शिका में राज्य सरकार की भूमिका शामिल की जाए । योजना के कार्यान्वयन हेतु (1) नगर निकाय, राज्य सरकार तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच MOU तथा (2) राष्ट्रीय मिशन निदेशालय एवं कार्यान्वयन एजेन्सी के मध्य एकरारनामा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थागत व्यवस्था इस प्रकार होगीः–

राष्ट्रीय स्तर पर शहरी विकास मंत्रालय के सचिव एवं संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की संयुक्त अध्यक्षता HRIDAY National Empowered Committee (HNEC) का गठन किया गया है। जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय के सचिव तथा शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (वित्त / स्मार्ट सिटी / मिशन), महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व

सर्वेक्षण, NIUA के निदेशक, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के मुख्य नियोजक, योजना आयोग के प्रतिनिधि, सम्बन्धित राज्य के प्रधान सचिव, सम्बन्धित नगर निकाय के प्रतिनिधि एवं मिशन निदेशक सदस्य होंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से HNEC में UNESCO, विश्व बैंक, INTACH द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऐजेन्सी के प्रतिनिधि तथा विरासत एवं नगर नियोजन संबंधी विशेषज्ञ को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। HNEC मुख्य रूप से योजना की स्वीकृति, मार्गदर्शन एवं सलाहकार की भूमिका निभायेगी।

4. HRIDAY योजना शहरों के Heritage Management Plan, DPRs, Investment Plans बनाने एवं इन परियोजनाओं/परियोजनाओं का विभिन्न लोक निर्माण संस्थाओं/ केन्द्रीय PSUs/राज्य स्तरीय ऐजेन्सी/SPVs तथा जानी मानी NGOs के माध्यम से क्रियान्वयन करवाने हेतु एक मिशन निदेशालय गठित किया गया है जिसके मुखिया अपर सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर के पदाधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रबंन्धन इकाई (PMU) मिशन निदेशालय को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। National Institute of Urban Affairs (NIUA) राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रबन्धन ईकाई के रूप में कार्य करेगी। इस इकाई में नगर नियोजन विशेषज्ञ, सूचना प्राद्योगिकी/एम0आई0एस0 विशेषज्ञ, शोध सहायक एवं अन्य सहयोगी स्टाफ नियुक्त होंगे। परियोजनाओं का कार्यान्वयन लोक निर्माण संस्था अथवा SPV अथवा केन्द्रीय PSU अथवा राज्य की सहायक संस्थाओं अथवा जानीमानी NGO द्वारा किया जाएगा तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मिशन निदेशालय की अनुशंसा पर राशि कार्यान्वयन संस्था को आवंटित की जाएगी।

5. नगर निकाय स्तर पर एक नगर स्तरीय सलाहकार एवं निगरानी समिति (CLAMC) का गठन किया जाएगा जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाएगी। इस समिति की बैठक के समन्वयक जिला पदाधिकारी अथवा नगर आयुक्त होंगे। समिति में जन प्रतिनिधि जैसे–सम्बन्धित महापौर, सांसद, एवं विधायक तथा विभिन्न विभागों के संस्थाओं के पदाधिकारी एवं समुदाय आधारित संगठन/स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक नगर स्तरीय मिशन निदेशालय का गठन किया जाएगा जिसकी अधिसूचना राज्य सरकार अथवा नगर निकाय द्वारा निर्गत की जाएगी। यह निदेशालय राष्ट्रीय मिशन निदेशालय की शाखा के रूप में पूर्ण रूप से परियोजना कार्यान्वयन ईकाई (PIU) के रूप में कार्य करेगी जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी अथवा नगर आयुक्त स्तर के पदाधिकारी होंगे। नगर स्तरीय मिशन निदेशालय की सहायता हेतु नगर स्तर पर परियोजना प्रबन्धन ईकाई (PMU) का गठन किया जाएगा जिसमें नगर नियोजक/नगर डिजायनर, विरासत संरक्षण विशेषज्ञ, नगर अभियन्ता, वित्त विशेषज्ञ, समाज एवं समुदाय विकास व्यवसायी, सूचना एवं प्राद्योगिकी व्यवसायी तथा सहायक स्टाफ नियुक्त होंगे।

6. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19.05.15 के मद सं0–14 के रूप में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

7. अतः केन्द्र सरकार की योजना Heritage City Development and Augmentation Yojna (HRIDAY) को गया एवं बोधगया नगर निकाय में लागू करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की जाती है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 610-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in